//3//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 12/2019

उनवान

महावीर पुत्र रामरतन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र गोपी
2. प्रकाश पुत्र रामकिशन
3. शिवदत पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण नि0 देराठू, नसीराबाद
4. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा, नसीराबाद
5. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. शाख देराठू, नसीराबाद
6.राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा
4 व 5 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैराकार

7. सुरेश पुत्र रामरतन जाति ब्राहमण नि0 देराठू, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :– अनुपस्थित

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी (जिला–अजमेर)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 16.10.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराडू के हाल खसरा नम्बर 5150/1.15, 5431/0.3 5488/0.02, 5640/0.6, 5641/0.06 व 5150/7491 रकबा 0.01 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी की सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी अपने चाह खसरा नम्बर 5150/7492 से पाई प लाईन द्वारा खसरा नम्बर 5118 में से पाल तक पाईप लाईन द्वारा पानी अपने खेतों में ले जाता है। उपरोक्त खसरा नम्बर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है। अप्रार्थी संख्या 1 बिना वजह पानी के मार्ग में व्यवधान कर रहे है। अतः खसरा नम्बर 5118 में से पाल तक पाईप लाईन व पानी के मार्ग को सुचारू रखने के लिये आवेदन पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने जो पाईप लाईन अप्रार्थी के खेतों में से निकाली है उससे अप्रार्थीगण के खेत की उपजाऊ क्षमता प्रभावित हुयी है। प्रार्थी ने उक्त पाईन लाईन भी सही तरीके से नहीं निकाली है उसके पानी से जवाबकर्ता की फसल नष्ट होती है। अप्रार्थीगण की आराजी के लगवा ही प्रार्थी की खातेदारी है। प्रार्थी अपने खेतों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी में से पाईप लाईन निकाल सकता है। प्रार्थी ने बिना अनुमति पाईप लाईन निकाली है जिस कारण अप्रार्थी की चने की फसल नष्ट हो गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थीगण ने पुलिस थाना नसीराबाद सदर में दर्ज करवायी है। उक्त आराजी के बंटवारे को लेकर एक वाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 4, 5 ,7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 के खातेदारी चाह खसरा नम्बर 5150/7492 में से प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 5150 व उसके पश्चात अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 5149 व 5118 में पाईप लाईन डाली हुयी है जो पाल के नीचे से होते हुये आगे जाती है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त पाईप लाईन द्वारा वह अपने खेतों को पानी पिलाता है। अप्रार्थी का कथन है कि उक्त पाईप लाईन से उनके खेतों की उपजाउ क्षमता व फसले प्रभावित होती है किन्तु मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त पाईप लाईन जमीन के अन्दर गडी हुयी है। अतः अप्रार्थीगण के खेत की उपजाउ क्षमता अथवा फसले प्रभावित होने का कथन विश्वसनीय नही है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी अपने खातेदारी खेतो में से भी पाईप लाईन निकाल सकता है किन्तु उक्त खेतों के खसरा नम्बर अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित नही किये है साथ ही मौका रिपोर्ट में भी कोई विपरित तथ्य अंकित नही किया है।

धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने व अपने कृषि जोत की सिंचाई हेतु जमीन के 3 फिट नीचे पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान करने की है। प्रार्थी की आराजी तक अप्रार्थीगण की जमीन के नीचे भूमि पर पाईप लाईन डालने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि बाबत राजस्व न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। किन्तु विभाजन के वाद में पाईप लाईन डालने की अनुमति से कोई प्रभाव नही पडेगा। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य अंकित नही है साथ ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की ताईद होती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 5149 व 5118 में से भूमि के 3 फिट नीचे भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही पाईप लाईन डाली जा चुकी है। अतः अप्रार्थीगण उक्त पाईप लाईन में पानी के प्रवाह को बाधित नही करे। भूमि पर पूर्व में डाली पाईप लाईन से प्रभावित रकबे की डी0एल0 सी0 दर का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अदा की जावे। पाईप लाईन नवीनीकरण अथवा मरम्मत से अप्रार्थी की फसल को कोई नुकसान होता है तो तहसीलदार नसीराबाद द्वारा तय क्षतिपूर्ति प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पृथक से अदा की जावे। राशि अदा नही करने पर उक्त स्वीकृति अमान्य होगी। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:38 IST
Reason: SelfAttested